न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4: /2010

उनवान

लक्ष्मीनारायण व अन्य बनाम सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 20.1.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पूर्वज ग्राम अजमेर थोक मालियान सिथत आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2020 लगायत 2023 के अनुसार खेवट संख्या 181 तथा खतौनी संख्या 185 तथा खेवट संख्या 872 एवं खतौनी संख्या 1526 की आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार थे। प्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी की उक्त आराजीयात के मध्य में मदिर श्री चुतुर्भुज जी महाराज दौराई की आराजीयात खाता संख्या 360 खसरा नम्बर 7202 लगायत 7212 हाल खसरा नम्बर 6935 अवस्थित है जो वर्तमान में स्थापित दयानन्द कॉलेज (डी.ए.वी कॉलेज) द्वारा दिनांक 24.4.1938 में लीज पर प्राप्त की गई। विवादित आराजीयात पर आर्य समाज शिक्षा सोसायटी अजमेर द्वारा डी.ए.ए.वी एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल कॉलेज निर्माण हेतु दिनांक 13.2.1941 को विद्वान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात उक्त आर्य समाज शिक्षा सोसायटी अजमेर को कम्पनी मानते हुए नोटिसफिकेशन दिनांक 10.4.1943 को न्यायालय विद्वान कलक्टर भूमि अर्जन अधिकारी महोदय अजमेर द्वारा जारी किया गया जो मुकदमा संख्या 3/1942–43 पर जारी किया गया । तत्पश्चात एग्रीमेन्ट दिनांक 26.1.1946 को गजट दिनांक 2.2.1946 में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त संस्था को कम्पनी माना गया । उक्त गजट में निम्न शर्तो पर विवादित भूमि डी.ए.ए.वी एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल कॉलेज निर्माण हेतु आर्य समाज शिक्षा सोसायटी अजमेर को 15 वर्ष के लिए सब्जेक्ट टू कन्डीशन पर प्रदान की गई। शर्त संख्या 2 के अनुसार कम्पनी द्वारा अवाप्ति की राशि प्रदान

Scanned by CamScanner

करने एवं 15 वर्ष पश्चात गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा प्रकरण से सबंधित समस्त दस्तावेजात निष्पाद्वित करने के बाद कम्पनी को पूर्ण स्वत्व प्रदान किये जावेगे जिस बाबत भी शर्त संख्या 3 में अंकन किया गया कि उक्त भूमि डी.ए.ए.वी एग्रीकन्ल्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल कॉलेज उपयोग में ली जायेगी एवं ले आउट दिनांक 17.11.43 में दर्शाये अनुसार गार्डन एवं मैदान तथा फार्म इत्यादी के निर्माण हेतु ही प्रयोग की जावेगी अन्य उदेश्यों हेतु नही लेकिन आर्य समाज शिक्षा सोसायटी द्वारा आज दिनांक शर्तो की पालना नही की गई है जिससे अवाप्ति इत्यादी समस्त कार्यवाहीयॉ स्वतः ही निरस्तप्रायः हो चुकी है। भूमि अवाप्ति का मकसद समाप्त हो चुका है। दिनांक 26.1.1946 को गजट में प्रकाशित एग्रीमेन्ट की शर्त संख्या 3 बी के अनुसार पहले कम्पनी को कब्जा प्रदान करने के 15 वर्षो के भीतर कॉलेज हेतु भवन निर्माण तथा ले आउट के अनुसार बगीचा, मैदान एवं फार्म विकासित करने थे तत्पश्चात शर्त संख्या 2 के अनुसार कम्पनी द्वारा अवाप्त राशि प्रदान करने एवं 15 वर्ष पश्चात गर्वनर जनरल इन काउंसिल द्वारा उक्त आराजीयात से सबधित समस्त दस्तावेजात एवं स्वत्व कम्पनी के हक में निष्पाद्वित किये जावेगे लेकिन कम्पनी द्वारा दिनांक 16.6.51 को जबरन पुलिस के अवैधानिक कग्जा प्राप्त करने के 15 वर्षो के भीतर न तो कॉलेज भवन (डी.ए.ए.वी. एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल कॉलेज) मुर्तिब करवाया तथा ना ही बगीचे मैदान इत्यादि ही आज दिन विकसित किये है ऐसी स्थिति में उक्त एग्रीमेन्ट की शर्त संख्या 3 (द) के अनुसार उक्त आराजियात प्रोविन्सियल गवर्नमेन्ट अजमेर मेरवाडा में उक्त भूमि निहित हो चुकी है। उक्त आराजीात का दिनांक 12.7.49 को अपंजीकृत अवार्ड जारी हुआ था उक्त अवार्ड में मुआवजा प्रदान करने हेतु भूमि की दर निर्धारित की गयी थी लेकिन उक्त अवार्ड शर्त संख्या 2 के अनुसार आज दिनांक न तो गर्वनर जनरल इन कौसिल में पंजीकृत हुआ है न ही इस पर गवर्नर जनरल आफॅ इण्डिया द्वारा कोई डिक्री जारी की गयी है न ही उक्त अवार्ड आज दिनांक कोर्ट ऑफ लॉ ही बना है। विान सिविल न्यायाधीश महोदय क.ख. दक्षिण अजमेर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 177/93 बउनवानी मंदिर मूर्ति चुतुर्भुज जी महाराज बनाम आर्य समाज शिक्षा सोसायटी अजमेर मुकदमा चला जिसमें प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के पैरा संख्या 9 में स्वयं स्वीकार किया गया है कि विद्वान जिलाधीश महोदय अजमेर द्वारा 105,3 एकड भूमि डी.एवी कॉलेज के निर्माण के लिए नही अपितु डी.ए.ए.वी एग्रीकल्वर इण्डस्ट्रीयल कॉजेज के लिए अवाप्त की गयी थी। अतः प्रार्थना पत्र

Scanned by CamScanner

स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात एग्रीमेन्ट दिनांक 26.1.1946 के अनुसार प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट अजमेर में निहित होने से सिवायचक दर्ज की जाकर अतिशीघ्र प्रार्थीगण के नाम अवाप्ति से पूर्व की भांति अधिकार अभिलेख में खातेदारी हक से दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उनके अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि नोटिफिकेशन दिनांक 10.4.1943 व ग्रीमेन्ट दिनांक 26.1.1946 स्वीकार है परन्तु करार की शर्तो का पालन नही हुआ हो अस्वीकार है। अप्रार्थी कॉलेज के पास भूमि वैध रूप से धारित है। दिनांक 16.6.51 को न्यायालय के आदेश के तहत तहसीलदार द्वारा पुलिस की इमदाद लेकर कब्जा अप्रार्थी कॉलेज को दिया गया था तब से उक्त भूमि कॉलेज के कृषि फार्म, बगीचे, मैदान के रूप में विकसित की जा चुकी है और छात्र–छात्राओ के अध्ययन के कार्यो में प्रयुक्त होती रही है अप्रार्थी कॉलेज संस्थान डी.ए.वी कॉलेज अजमेर कृषि कॉलेज बहुत समय पहले से ही है। अप्रार्थी कॉलेज सोसायटी का ही डी.ए.वी कॉलेज है जिसमें कृषि संकाय है। यह कहना गलत है कि भूमि खाली पडी है बल्कि सोसायटी के कॉलेज के रूप में कृषि संकाय में कृषि अध्ययन अध्यापन के हेतु काम में आती रही है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि 2020 से 2023 की खेवट में नामान्तकरण गलत किया गया हो केवल त्रुटिपूर्ण नामान्तकरण होने से इस त्रुटि को सही किये जाने पर नोटिफिकेशन द्वारा अवाप्त की गई भूमि अप्रार्थी कॉलेज के नाम दर्ज किया जाना उचित होगा । अवाप्तशुद्वा भूमि कॉलेज के भवन, बगीचे, फार्म हाउस अनुसंधान/प्रशिक्षण फील्ड के रूप में विकसित की गई थी जो काम में आ रही है जो चार दीवारी के अन्दर है। 1938 से 1946 के मध्य अजमेर में खेवटदारी अधिकार होते थे जो दिनांक 15.11.1959 को जमीदारी विस्वेदारी एबोलिशन एक्ट की धारा 5 के द्वारा समाप्त किये जा चुके है और वर्णित भूमि अप्रार्थी कॉलेज की निली सम्पदा है। विवादित भूमि डी.ए.वी एग्रीकल्चर एण्ड इन्डस्ट्रीयल कॉलेज के लिये अवाप्त की गई थी जिसका अवार्ड लेण्ड एक्वीजीशन केस नम्बर 3/1943 डी.ए.वी. कॉलेज बनाम तयब अली वगैरह में डी.ए.वी कॉलेज के नाम से दिनांक 12.7.1949 को पारित किया गया था विवादित भूमि जमीदारी

Scanned by CamScanner

बिस्वेदारी एबोलिशन अधिनियम के तहत अप्रार्थी कॉलेज की निजी भूमि है । प्रार्थीगण को वर्णित भूमि के लिये विवाद करने का कोई अधिकार नही है। विवादित भूमि डी.ए.वी कॉलेज के लिये लेण्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत अधिकृत की गई जिसका अवार्ड डी.ए.वी कॉलेज बनाम तयब अली वगेरह लेण्ड एक्वीजीशन केस नम्बर 3/1949 में अतिरिक्त सहायक कमीशनर एवं कलेक्टर लेण्ड एक्वीजीशन एक्ट अजमेर द्वारा पारित किया गया और उक्त के तहत किसी भी आदेश को पारित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.1.1946 के एग्रीमेन्ट का जिक किया गया है वह एग्रीमेन्ट वगर्नर जनरल ऑफ इण्डिया व आर्य समाज एज्यूकेशनल सोसायटी (कम्पनी) के मध्य हुआ है जो अवार्ड का भाग है जिसके बावत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है और उक्त एग्रीमेन्ट के तहत भी कोई आदेश प्रदान करने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नही है और ना ही प्रार्थीगण को एग्रीमेन्ट का चैलेन्ज करने का कोई अधिकार है ना ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज करे ।

राजकीय पेरोकार तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.1.20 मे अकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि मौके पर दयानन्द महाविघालय भवन स्थित है जो पूर्व समय से संचालित है तथा प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मौके पर नही होने व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आने से निरस्त किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया । तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं राजस्व रेकार्ड में किए गए इन्द्राजात अनुसार खसरा नम्बर 6935 मिन रकबा 15–18–00 व 6935 रकवा 00–05–00 किस्म बावादी मंदिर श्री चतुरभुज जी महाराज के खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है तथा वर्तमान में विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होर होकर दयानन्द महाविधालय भवन स्थित होना सिद्व है ऐसी स्थिति में पक्षकार के मध्य विवादित भूमि के सबंध में हक अधिकार व आधिपत्य को लेकर विवाद है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि मं नही होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

Scanned by CamScanner

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रार्थीगण अपने हक अधिकार के प्रति नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वत्रंत है ।

आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2020.01.28 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: